dk;kZy; iqfyl v/kh{kd tuin xks.Mk fnukad 12-11-2022

'kkfrHkax dh vk'kadk ds eísutj iqfyl }kjk dh x;h dk;Zokgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 okjUVh vfHk;qä fxj¶rkj&

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कटराबाजार पुलिस ने 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

vo/k 'kjkc ds fu"d"kZ.k] fcØh o ifjogu ds fo#) tuinh; iqfyl }kjk dh xbZ dk;Zokgh&

01- Fkkuk uokcxat }kjk dh x;h dk;Zokgh&

01. रतिभान सिंह पुत्र परशुराम नि0 भोपतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–467/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी

<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 12.11.2022</u>

अवैध स्मैक/हेरोईन के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर सर्कुलर रोड के पास से अभियुक्त इरशाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 06 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. इरशाद पुत्र मोहम्मद शफी निवासी न्यू इंदिरा नगर कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोंण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-812/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 06 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ0नि0 जितेंद्र कुमार मय टीम।

ljkguh; dk;Z

çsl uksV

lks'ky ehfM;k lsy xks.Mk

fnukad 12-11-2022

pksjh dh ?kVukvksa dk [kqykl k] pksjh dh ;kstuk cukrs le; 04 'kkfrj pksj fxj¶rkj] pksjh djus ds midj.k o 12 vnn fo/kqr eksVj cjken&

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे उक्त निर्देश के क्रम में थाना खोड़ारे पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोड़ारे पुलिस ने रात्रि गस्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर चोरी की योजना बनाते समय सेवईनाला पुल के पास स्थित मन्दिर के पीछे से 04 शातिर चोरो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण व उनकी निशांदेही पर सेवई नाला के किनारे से 02 अदद बिजली के मोटर बरामद किये गये जो क्रमशः थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 193/22 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 194/22 धारा 380 भादवि से सम्बंधित पाये गये तथा पकड़े गये अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों की निंशादेही पर हरैयाघाट के पास सागौन के बाग से 04 अदद बिजली के मोटर व बलुआ तिराहे के पहले बनी पुलिया के पास से 03 अदद बिजली के मोटर व घारीघाट चौराहे से करीब 100 मी0 पहले पुलिया के पास से 03 अदद बिजली मोटर बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरूद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना खोड़ारे में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj¶rkj vfHk;qäx.k&

01. राजेश कुमार वर्मा पुत्र पंकज वर्मा निवासी केशवनगर ग्रण्ट (बलुआ) थाना खोडारे जनपद गोण्डा।

02. दुर्गेश कुमार मौर्या पुत्र राधेश्याम मौर्या निवासी दृकेशवनगर ग्रण्ट पश्चिमी (बिजहरिया) थाना खोडारे जनपद गोण्डा।

03. कन्हैया वर्मा पुत्र रामसनेही वर्मा निवासी बकुई खुर्द थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

04. दूजे पुत्र रामअजोरे निवासी केशवनगर ग्रण्ट (केदराबाद) थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

iathd`r vfHk;ksx&

01. मु0अ0सं0–195/22, धारा 401,379,380,411 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

vukofjr vfHk;ksx&

01. मु0अ0सं0 193/22 धारा 379 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 194/22 धारा 380 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

Ckjkenxh&

01. 07 अदद विद्युत मोटर किर्लोस्कर।
02. 02 अदद विद्युत मोटर एलयूबीआई।
03. 01 अदद विद्युत मोटर वरुणा
04. 02 अदद विद्युत मोटर टस्कन (कुल 12 अदद विद्युत मोटर)
05. 01 अदद हथौडी
06. 01 अदद हेक्सा मय ब्लेड
07. 01 अदद प्लास
08. 01 अदद पेंचकश
09. 02 अदद रिंच
10. 01 अदद टार्च

fxj¶rkj drk Vhe&

01. उ0नि0 छैलबिहारी मय टीम।
02. उ0नि0 रामधारी दिनकर मय टीम।

lSjkguh; dk;l
çsl uksV
lks'ky ehfM;k lsy xks.Mk
fnukad 12-11-2022

pksjh djus ds 02 vkjksih vfHk;qDr pksjh ds eky ds lkFk fxj¶rkj&

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों/शातिर चोरो की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान 02 चोरो–01. अश्फाक उर्फ भूषण, 02. कुलदीप मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद साईकिल व 03 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामद समान के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हम लोगो ने रेडमी मोबाइल व साईकिल ग्राम महुली खोरी से व रीयलमी मोबाइल ग्राम शीतलगंज तथा सैमसंग मोबाइल दुर्गापुर बंजरवा से रात में चुराया था। अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना छपिया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj¶rkj vfHk;qDrx.k&

01. अश्फाक उर्फ भूषण पुत्र आशिक अली नि0 अगयामाफी थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. कुलदीप मिश्रा पुत्र रामनरायण नि0 ज्ञानीपुर ईश्वरी थाना छपिया जनपद गोण्डा।

lEcfU/kr vfHk;ksx&

01. मु0अ0सं0–335/22, धारा 380,411 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

cjkenxh&

01. 01 अदद साईकिल।
02. 03 अदद मोबाइल फोन।

fxj¶rkj djus okyh Vhe&

उ0नि0 अश्वनी कुमार राय मय टीम

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 12.11.2022

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना इटियाथोक पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त बजरंगी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक में आर्म्स ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बजरंगी पुत्र दशरथ निवासी निशारूपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-457/22, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ0नि राकेश कुमार मय टीम।